प्रश्न: अनुच्छेद 13(4) क्या है? ***(13 (4) amendment (24) in 1971.***
उत्तर: ***in keshvanand Bharti case Hon'ble S.C. declare that all the amendment done in article 368 will review under article 13(4)***
अनुच्छेद 13(4) को संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें यह कहा गया है कि —

"इस अनुच्छेद में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में किए गए संशोधनों पर लागू हो।"

इसका अर्थ यह है कि संविधान में किए गए संशोधन (Amendments) को अनुच्छेद 13(3) में दिए गए "कानून (Law)" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, और ***इसलिए प्रारंभ में संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) के दायरे से बाहर माने जाते थे।***

***लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) स्वयं संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का एक अभिन्न अंग है।*** इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

इस प्रकार, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट (Destroy) या परिवर्तित (Alter) नहीं कर सकती। ऐसे संशोधन न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत समीक्षा के योग्य होंगे।

👉 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि —

"विधायिका (Legislature) को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना को किसी भी प्रकार से नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।"

---

**Q. What is Article 13(4)?**

**Answer:**
Article 13(4) was inserted by the **24th Constitutional Amendment, 1971**. It states that *"nothing in this Article shall apply to any amendment of the Constitution made under Article 368."*

This means that constitutional amendments are not included within the definition of "law" under Article 13(3), and therefore, they were originally considered to be outside the scope of judicial review.

However, in ***Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)***, the Supreme Court held that **judicial review is part of the basic structure of the Constitution.** Therefore, even constitutional amendments made under Article 368 are subject to judicial review if they violate the *basic structure* of the Constitution.

Thus, while Parliament has the power to amend the Constitution, it cannot destroy its basic structure, and such amendments can be reviewed by the judiciary under Article 13.

"In *Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)*, the Hon'ble Supreme Court held that the legislature has full power to amend the Constitution under Article 368, but it cannot destroy or alter the *basic structure* of the Constitution in any manner."